फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व विविध जीसीएमएस नंबर 2021/170 बअनवान मंदिर श्री निम्बेश्वर महादेव बनाम देवाराम वगेरा

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
19/11/24	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। उपस्थित वकुलाय की बहस सुनी गई। प्रार्थी पक्ष के अधिवक्ता श्री हनुमानसिंह चौहान द्वारा दलील दी गई कि ग्राम सेवाडी में स्थित भूमि खसरा नंबर 1182 से 1190 कुल खसरा 09 कुल रकबा 3.70 हैक्टर जो बेरा मोगरा के नाम से जानी पहचानी जाती है। मंदिर श्री निम्बेश्वर महोदव निम्बोरानाथ सांडेराव की खातेदारी की भूमि है। तथा मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री जगतसिंह द्वारा मंदिर व ट्रस्ट की संपदाओं के रख रखाव की जिम्मेदारी बतौर अध्यक्ष निभाई जा रही है। मंदिर की भूमि को अप्रार्थी देवाराम को काश्त के लिये संवत 2072–73 मे दी गई थी। उसके पश्चात अप्रार्थी वादग्रस्त भूमि पर बिना भोग दिये अपनी हठधर्मिता से आदिनांक तक काबिज है। जिसको मौके से हटने का कहने पर औरतों को आगे करता है तथा लडाई झगडा करता है। जिससे मंदिर की भूमि से अप्रार्थी को बेदखल कर अप्रार्थी के विरूद्ध सार्वकालिक निषेधाज्ञा की डिक्री जारी किये जाने बाबत प्रस्तुत वाद के निस्तारण तक बहक प्रार्थी विरूद्ध जारी किये जाने की दलील दी गई। दलीलों के समर्थन में वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी की नकल तथा अप्रार्थी को काश्त पर दिये जाने के फ़ल्स्वरूप दिनांक 12.11.2016 को देवूराम से वसूल की गूंई 21000/– रूपये भोग राशि की रसीद प्रति, नक्शा प्रति तथा मंदिर भूमि पर कराये परकोटे के संबंध में लोगों को किये भुगतान रसीदों की प्रतियां व मंदिर ट्रस्ट के प्रस्तावों की प्रतियां पेश की गई। अप्रार्थी अधिवक्ता श्री हिम्मत धनेरा ने बहस में जवाब एवं काउण्टर प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी गई कि अप्रार्थी व अप्रार्थी के पूर्वजों द्वारा कभी भी भूमि काश्त पर नहीं ली गई। ग्राम सेवाडी के पुराने खसरा नंबर 293, 293/1, 293/2, 292 रकबा 23 बीघा 01 बिस्वा भूमि पर जोधपुर गवरमेंट के समय से अप्रार्थी परिवार के कब्जे काश्त की भूमि रही है जिससे अप्रार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि की घोषणा खातेदारी व सार्वकालिक निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है तथा साथ ही काउण्टर प्रार्थना पत्र भी पेश किया है। जिससे प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर अप्रार्थी देवाराम पुत्र धुलाराम के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने की दलील दी। अपनी दलीलों के समर्थन में अप्रार्थी पक्ष द्वारा बिगोडी रसीदें तथा बिजली बिल की प्रतिया पेश की गई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन एवं धारा 212 टिनेंसी एक्ट में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत विधि द्वारा स्थापित बिन्दुओं प्रथम दृष्टया सामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं पर प्रकरण का परीक्षण किये जाने के पश्चात वादग्रस्त भूमि ग्राम सेवाडी के खसरा नंबर 1182 से 1190 कुल खसरा 09 कुल रकबा 3.70 हैक्टर जो बेरा मोगरा के नाम से जानी जाती है, के संबंध में प्रस्तुत वाद व काउण्टर क्लेम के निर्णय तक मौके की यथास्थिति रखे जाने की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली	

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner